बिहार सरकार

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज

(सामान्य प्रशाखा)

मोबाईल नं0: 9473191368 Eamil ID: sdofbg@gmail.com

अल्पकालीन सूचना प्रकाशन

सर्वसाधरण को सुचित किया जाता है कि मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना के पत्रांक–138 दिनांक–02.02.2021 एवं जिला परियोजना पदाधिकारी–सह–जिला कल्याण पदाधिकारी अररिया के पत्रांक–849 / जि0क0 दिनांक 30.03.2026 के आलोक में भरगामा प्रखड अन्तर्गत खुटहा बैजनाथपुर पंचायत में पूर्व से कार्यरत विकास मित्र के सेवानिवृति के उपरांत उक्त पंचायत में विकास मित्र के रिक्त पद पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है। रिक्त की विवरणी :–

क्र0सं0	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	जाति बहुलता	आरक्षित कोटि	रिक्त पदों की संख्या	अभ्युक्ति
01	भरगामा	खुटहा बैजनाथपुर	मुसहर	महिला	01	

चयन हेतु अर्हताः–

1. आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वाले से होंगे
2. जिस पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वही के निवासी का आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा।
3. आवेदक की न्यूतम शैक्षिणक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी।
4. विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता हैः–

(A) नन–मैट्रिक, (B) नौंवी पास, (C) आठवी पास (D) सातवी पास, (E) छठ्ठा पास (F) पॉचवी पास। सर्वप्रथम नन–मैट्रिक, उसके पश्चात् नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम से चयन किया जाएगा। महिलाओं के शैक्षिणक योग्यता नहीं मिलन पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयनित किया जायेगा। बशर्ते अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा उन्हें सामाजिक कार्यो में प्रगतिशिल महिला हो। उच्चतम शैक्षिणक योग्यता वाले आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में निम्न शैक्षिणक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जायेगा। जब एक ही शैक्षिणक योग्यता के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होगें– वैसी स्थिति में जिस आवेदन की उम्र सबसे कम हो (जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जायेगा। अगर दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षिणक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदक का चयन करेंगे। विकास मित्र का चयन मार्गदर्शिका (पंचम चरण) के आधार पर किया जायेगा।

5. चयन में मैट्रिक सा समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।
6. मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
7. मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

आयु सीमाः–

आवेदक की उम्र दिनांक 01.01.2026 को न्यूतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित महिला पदों के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर एवं एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

जाति बहुलताः–

जाति पंचायत / वार्ड समूह (शहरी) क्षेत्र में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति की बहुंलता का निर्धारित किया जा चुका है। जाति बहुलता का निर्धारण उस जाति से की गयी है, जिस जाति की जनसंख्या पंचायत / वार्ड समूह (शहरी) में सबसे अधिक है। किसी भी परिस्थिति मे ं विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति वाले पंचायत से ही किया जाएगा।

नियोजन की अवधिः–

विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष कार्य किए जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। आवश्यकतानुसार पुनः नियोजन किया जा सकता है। विकास मित्र नियोजन की प्रक्रिया निम्नरूपेण तिथिवार संचालित होनी हैः–

क्र0सं0	गतिबिधि	अवधि
1	भरगामा प्रखंड में आवेदन प्राप्त करना	दिनांक–23.05.2026 से 30.05.2026
2	मेधा सूची का प्रकाशन	दिनांक–01.06.2026
3	मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना एवं निराकरण	दिनांकः–02.06.2026 से 11.06.2026
4	चयन सूची का प्रकाश	दिनांक–12.06.2026
5	नियोजन पत्र वितरण / शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण	दिनांक–13.06.2026

नोटः– 1. आवेदन पत्र महादलित मिशन के वेबसाईट WWW.mahadalitmission.org पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अनुमंडल कार्यालय, फारबिसगंज एवं प्रखंड कार्यालय भरगामा में भी उपलब्ध है।

2. आवेदन पत्र प्रखंड कार्यालय, भरगामा में दिनांक 23.05.2026 से दिनांक 30.05.2026 तक (कार्य दिवस) अपराह्न 05:00 बजे तक जमा कर सकते है।

विस्तृत जानकारी WWW.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती

PR- 003669 (Welfare) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

अनुमंडल पदाधिकारी,
फारबिसगंज।